Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बीकानेर में जोधपुर डिस्कॉम का वाणिज्यक सहायक–प्रथम 1 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *07 फरवरी* सोमवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बीकानेर इकाई द्वारा आज बीकानेर में कार्यवाही करते हुये मुबारक अली, वाणिज्यक सहायक–प्रथम, कार्यालय सहायक अभियंता (वितरण), जोधपुर डिस्कॉम, लूणकरणसर, जिला बीकानेर को परिवादी से 1 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बीकानेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई '' कि परिवादी के कृषि कनेक्शन के ट्रांसफार्मर व डी.ओ. जारी करने की एवज में मुबारक अली, वाणिज्यक सहायक–प्रथम, कार्यालय सहायक अभियंता (वितरण), जोधपुर डिस्कॉम, लूणकरणसर, जिला बीकानेर द्वारा पूर्व में 10,000/– रूपये व घी प्राप्त किया गया व 5,000/– रूपये की रिश्वत राशि और मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी बीकानेर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रजनीश पुनिया के निर्देशन** में **श्री आनन्द मिश्रा, पुलिस निरीक्षक** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर मय **पुलिस निरीक्षक श्री दिलीप कुमार खत्री** व टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये मुबारक अली पुत्र श्री मोहम्मद आमीन, निवासी गली नं. 13, धोबी तलाई, रानी बाजार, बीकानेर हाल वाणिज्यक सहायक–प्रथम, कार्यालय सहायक अभियंता (वितरण), जोधपुर डिस्कॉम, लूणकरणसर, जिला बीकानेर को परिवादी से 1 हजार **रूपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।